

कार्यालय क्रय समिति, जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद।

नोटिस

जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद में भारतीय न्याय संहिता (Diglot), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Diglot), व भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Diglot), के दस-दस सेट क्रय किये जाने हेतु स्टीमेट/कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

इच्छुक फर्म/दुकानदार दिनांक 23.05.2024 को दोपहर 01.00 बजे तक अपने-अपने स्टीमेट/कोटेशन केन्द्रीय नजारत में डाक/ई-मेल द्वारा अथवा कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद में केन्द्रीय नाजिर को प्राप्त करा सकते हैं।

दिनांक: 16.05.2024

Sd/-

(डा. अनिल कुमार सिंह-II)

अध्यक्ष, क्रय समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायालय संख्या-06, फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभारी अधिकारी नजारत को सूचनार्थ।
- 2- जिला न्यायालय, फर्रुखाबाद के नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 3- कलेक्ट्रेट नजारत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 4- नगर पालिका परिषद, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 5- जिला पंचायत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद को स्थानीय एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8- बाह्य न्यायालय, कायमगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 9- शासनादेश सं0 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated 04 July 2007 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1660/Admin. (B-V) Section: Allahabad Dated May 10, 2014 के निर्देशानुसार निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाये।

दिनांक: 16.05.2024

Sd/-

(डा. अनिल कुमार सिंह-II)

अध्यक्ष, क्रय समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायालय संख्या-06,

फर्रुखाबाद।